प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 25 मई, 2022*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30289/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-02.09.2021) दिनांक-16.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, ग्राम-घेरामऊ, थाना-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा महादेव की पुत्री सुधा देवी, जिनकी शादी नन्हें सिंह के साथ हुई थी, शादी के ढाई साल बाद उन्हें एक पुत्री श्यामा पैदा हुई। महादेव सिंह के दामाद नन्हें सिंह ने घटना से 07-08 माह पूर्व अपनी पत्नी सुधा तथा पुत्री के पक्ष में वसीयत करायी थी, जिससे भतीजे अभियुक्तिगण शिवकुमार सिंह, राम कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह एवं सन्तोष काफी नाराज थे। महादेव की दूसरी पुत्री मन्नों भी अपनी बहन के साथ रहती थी। इसी नाराजगी के कारण बंदी ने दिनांक 15.02.1978 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बॉका से श्रीमती सुधा, मन्नों तथा श्यामा सहित 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-279/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 22.05.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.06.2021 तक 15 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, समयपूर्व रिहाई से कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जेल में निरूद्ध रखना उचित होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, पूर्व का अपराधिक इतिहास होने, अपने ही परिजनों की हत्या करने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अशोक कुमार सिंह (बन्दी संख्या-1110/2007) पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2022/2331(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-37/2022/2331/22-2-2021-17(906)/2021

दिनांक 25 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक कुमार सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, जो ग्राम-घेरामऊ, थाना-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी द्वारा महादेव की पुत्री सुधा देवी की शादी नन्हें सिंह के साथ हुई थी। शादी के ढाई साल बाद उन्हें एक पुत्री श्यामा पैदा हुई। महादेव सिंह के दामाद नन्हें सिंह ने घटना से 07-08 माह पूर्व अपनी पत्नी सुधा तथा पुत्री के पक्ष में वसीयत करायी थी, जिससे भतीजे अभियुक्तिगण शिवकुमार सिंह, राम कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह एवं सन्तोष काफी नाराज थे। महादेव की दूसरी पुत्री मन्नों भी अपनी बहन के साथ रहती थी। इसी नाराजगी के कारण बंदी ने दिनांक 15.02.1978 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बॉका से श्रीमती सुधा, मन्नों तथा श्यामा सहित 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-279/1978 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 22.05.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.06.2021 तक 15 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित न होने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, समयपूर्व रिहाई से कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेश अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, अपराध करने में अशक्त न होने, समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जेल में निरूद्ध रखना उचित होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, पूर्व का अपराधिक इतिहास होने, अपने ही परिजनों की हत्या करने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।